



# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार-249404

Website- [www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in)

☎ 01334-244282(O)

01334-244282(F)

01334-242355(F)

UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION

संख्या:- 226(1)/01/ई-1/2010-11,

दिनांक : 30 अक्टूबर, 2012

## विज्ञापित

### सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा (मुख्य) परीक्षा-2010

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा-2010 के परिणाम दिनांक 21 जुलाई, 2012 एवं तकनीकी शैक्षिक अर्हता के पदों हेतु घोषित संशोधित चयन परिणाम दिनांक 26 अक्टूबर, 2012 के आधार पर सफल अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जा रहे हैं।

अभ्यर्थी दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 से दिनांक 15 नवम्बर, 2012 की रात्रि 12:00 बजे तक आयोग की वेबसाइट-[www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्देशानुसार बैंक चालान के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क (सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु ₹ 250/-, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/समाज के विकलांग अभ्यर्थियों के लिए ₹ 100/- तथा उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए ₹ 150/-) भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में बैंक समय में दिनांक 17 नवम्बर, 2012 तक जमा करना सुनिश्चित करें। सेना के अवमुक्त अधिकारी/सैन्य वियोजित कर्मचारी/पूर्व सैनिक, कुशल खिलाड़ी, महिला एवं उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी एवं उनके आश्रित अभ्यर्थी विभिन्न श्रेणियों यथा- सामान्य श्रेणी, उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में से जिस श्रेणी से सम्बन्धित होंगे, उसे उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

2- अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र की दो प्रतियों में प्रिंटआउट निकालकर एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, जबकि दूसरी प्रति पर अपने हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान लगाकर अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, उपाधियों, अंक पत्रों, प्रारम्भिक परीक्षा के ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र में किये गये आरक्षण के दावे की पुष्टि से संबंधित प्रमाण पत्रों एवं अनुभव प्रमाण पत्र (जो भी स्थिति हो) की स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ संलग्न कर सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार-249404 को किसी भी माध्यम से दिनांक 23 नवम्बर, 2012 के सायं 6:00 बजे तक उपलब्ध करा दें।

3- ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति संलग्नकों सहित जिस लिफाफे में प्रेषित किया जाए उसके ऊपर मोटे अक्षरों में 'सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा (मुख्य) परीक्षा-2010' तथा अपना नाम एवं अनुक्रमांक अवश्य लिखें। अन्तिम तिथि एवं समय के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। बिना डाक टिकट लगे आवेदन पत्र अथवा आवेदन पत्र की फैंक्स प्रति स्वीकार नहीं की जाएगी। डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के लिये आयोग कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

**नोट:-** (1) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित समस्त निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन करने के उपरान्त ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।

(2) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का अवसर अभ्यर्थी को मात्र एक बार अनुमन्य होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रेषित करने की (Submit) प्रक्रिया पूर्ण कर लेने के उपरान्त अभ्यर्थी पुनः ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे तथा प्रविष्ट सूचनाओं में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(3) पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में आयोग द्वारा अपरिहार्य परिस्थितियों में परिवर्तन किया जा सकता है।

  
(चन्द्रशेखर भट्ट)  
सचिव।